संख्याः-602 /I/2005-05/02/04

प्रेषकः—

डा0 एम0सी0 जोशी
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ / चम्पावत / चमोली,
उत्तरांचल।

ऊर्जा विभाग, देहरादूनः दिनाकः 16 मार्च, 2005

विषयः— वित्तीय वर्ष 2004—05 में उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 को ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर नोडल ऐजेन्सी तथा जनपद एवं विकासखण्ड स्तर पर समितियां गठित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या 511/I/2004-05/03/04 दिनांक 29.09.2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2007 तक ग्रामों तथा वर्ष 2009 तक सभी परिवारों के विद्युतीकरण किये जाने के लक्ष्य एवं ग्रामीण विद्युतीकरण की बदली हुई परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में तथा सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाओं का विकासखण्डवार / जनपद पर सूचनाओं का संकलन करने हेतु अनुदान के रुप में रु0 3,38,800 / — की आवश्यकता के दृष्टिगत पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न बी0एन0 15 के अनुसार सुगमांकित रु0 3,39,000.00 (रु0 तीन लाख उन्तालिस हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि के विपरीत संलग्नक में वर्णित जनपदवार फॉट के अनुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1— स्वीकृत धनराशि के बिल उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा तैयार / हस्ताक्षरित किये जायेंगे तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर उपरान्त कोषागार से धनराशि का आहरण किया जायेगा।

2— प्रत्येक अनुदान आहरण की सूचना महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, वाउचर संख्या, निधि लेखाशीर्षक सूचित करते हुये भेजेंगे।

3— स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन को दिनांक 31.03.2005 तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा।

4— आवंटित धनराशि को किसी ऐसी मद जिसके लिये फाइनेन्सियल हैण्ड बुक, बजट मैनुअल तथा स्टोर पर्चेज के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, तो तदानुसार स्वीकृति प्राप्त करके व्यय किया जायेगा।

5— स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र उपयोग न किया जाय।

6— जनपदवार व्यय आवंटित सीमा तक ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा और किसी भी स्थिति में आवंटन से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा, अन्यथा इसका वित्त पोषण शासन द्वारा नहीं किया जायेगा।

.....2

7– स्वीकृत धनराशि को वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या 21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2801–बिजली–06–ग्रामीण विद्युतीकरण–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05–ग्रामीण विद्युतीकरण का नियोजन तथा अनुश्रवण–00–42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 749/वि0अनु0–3/04, दिनांक 14 मार्च, 2005 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– यथोक्त 2 नं0।

भवदीय

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

संख्याः602/1/2005-05/02/04, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल ।
2– प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
3– अपर निजी सचिव, ऊर्जा राज्य मंत्री, उत्तरांचल शासन को मा0 राज्य मंत्री के संज्ञान में लाने हेतु।
4– कोषाधिकारी, पिथौरागढ/चम्पावत/चमोली, उत्तरांचल।
5– वित्त अनुभाग–3
6– सचिव, नियोजन विभाग।
7– सचिव, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
8– अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0, देहरादून।
9– प्रभारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
10–गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या 602/I/2005-05/02/04, दिनांक: 16 मार्च, 2005 का संलग्नक

(धनराशि हजार मात्र में)

क्रमांक	मद	जनपद	धनराशि
1	2	3	4
1–	ग्रामीण विद्युतीकरण का नियोजन तथा अनुश्रवण।	पिथौरागढ	284.0
		चम्पावत	14.8
		चमोली	40.0
		योग:–	338.8

कुल योग रु0 3,38,800.00 (रु0 तीन लाख अडतिस हजार आठ सौ मात्र)

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

बी0एम0–15

पुनर्विनियोग 2004–2005 आयोजनागत अनुदान सं0–21

नियन्त्रक अधिकारी–सचिव–ऊर्जा विभाग

(रु0 हजार में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 1 में कुल अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2801– बिजली 06– ग्रामीण विद्युतीकरण 800– अन्य व्यय 04– निजी नलकूप/पम्पसेट में विद्युत संयोजन योजना 20– सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 32500	22500	9661	339(क)	2801– बिजली 06– ग्रामीण विद्युतीकरण 800– अन्य व्यय 05– ग्रामीण विद्युतीकरण का नियोजन तथा अनुश्रवण 42– अन्य व्यय 339(ख)	2139	32161	(क) आवश्कता न होने के कारण। (ख) आवश्यकता अधिक व बजट प्राविधान कम होने के कारण।
योग– 32500	22500	9661	339	339	2139	32161	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद–150,151,155,156 में उल्लिखित सीमाओं का एवं प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्या: /वि0अनु–3/2004
देहरादून: दिनांक: मार्च, 2005

पुनर्विनियोग स्वीकृत

(एल.एम. पन्त)
अपर सचिव

संख्या: /I/2005-05/02/04, दिनांक मार्च, 2005

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

2– वित्त अनुभाग–3

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव